न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/01/2026

एमबिट फिनवेस्ट प्राईवेट लि. कार्पोरेट ऑफिस–ए 506–ए 510, कानकीयावाली स्ट्रीट, अंधेरी–कुर्ला रोड, चकला अंधेरी पूर्व, मुम्बई 400093 पंजीकृत ऑफिस–एमबिट हाउस, 449, सेनापती बापस मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013 तथा ब्रांच ऑफिस 906–910, नोवां फ्लोर, आर्के प्लस टॉवर, हथरोईगढी, गोपालबाडी, अजमेर रोड, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी विनोद कुमार शर्मा

....प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. अमर शारदा बाल विद्या मन्दिर समिती पता बल्लभगढ भुसावर, भरतपुर 321409
2. हरीराम पुत्र गोपाल निवासी 296, वाहलावास, वैर बल्लभगढ, भरतपुर 321409
3. धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र हरीसिंह सैनी निवासी वहाला वास, बल्लभगढ, भरतपुर
4. प्रीतम देवी पत्नी हरीसिंह सैनी निवासी 274, बल्लभगढ भरतपुर 321409 अन्य पता खसरा नं. 819, ग्राम बल्लभगढ, ग्राम पंचायत बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर
5. हरीसिंह सैनी पुत्र कुन्दनलाल सैनी निवासी 274 बल्लभगढ, भरतपुर 321409

...........ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

———

आदेश **दिनांक 16.04.2026**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण/ऋणी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 30.04.2024 को जरिए ऋण अनुबन्ध संख्या JAI000001012538 से ऋण राशि रू. 31,24,239/– (शब्देन इकत्तीस लाख चौबीस हजार दो सौ उन्तालीस रूपये मात्र) की ऋण सुविधा ली गई थी। उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी सम्पति स्थित खसरा नं. 819, मिसिल नं. 04 दिनांक 19.03.2006, रसीद संख्या 06 दिनांक 1903.2006, ग्राम बल्लभगढ, ग्राम पंचायत बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 905 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं इस

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकार है पूर्व दिशा मे भोले का प्लॉट उसके बाद देवीसिह का प्लाट, पश्चिम दिशा मे हुकमा/कलुआ का खेत, उत्तर दिशा में किशन का खेत, दक्षिण दिशा में आम रास्ता 5 फीट चौडा उसके बाद देवीसिह का खेत है जो अप्रार्थी0 के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पति जिसको प्रार्थी बैंक/फाईनेस कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 03.10.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 06.10.2025 तक कुल बकाया राशि 31,60,809.66/– (शब्देन इकत्तीस लाख, साठ हजार आठ सौ नौ रू. छियासठ पैसे मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चे, अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 07.10.2025 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, जो ट्रेक रिकार्ड अनुसार दिनांक 24.10.2025 को अप्रार्थी/ऋणी को डिलीवर्ड हुआ, साथ ही दिनांक 17.10.2025 के समाचार पत्र में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 07.10.2025 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, जो ट्रेक रिपोर्ट अनुसार दिनांक 24.10.2025 को अप्रार्थी0 को डिलीवर्ड हुआ है। नोटिस रिसीव्ड होने के उपरान्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी0/ऋणी/सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पति स्थित खसरा नं. 819, मिसिल नं. 04 दिनांक 19.03.2006, रसीद संख्या 06 दिनांक 1903.2006, ग्राम बल्लभगढ, ग्राम पंचायत बल्लभगढ तहसील वैर जिला भरतपुर क्षेत्रफल 905 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं इस प्रकार हैं पूर्व दिशा में भोले का प्लॉट उसके बाद देवीसिह का प्लाट, पश्चिम दिशा में हुकमा/कलुआ का खेत, उत्तर दिशा में किशन का खेत, दक्षिण दिशा में आम रास्ता 5 फीट चौडा उसके बाद देवीसिह का खेत है जो अप्रार्थी0 के क्षेत्राधिकार में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर